(ख) वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति की सिफारिशों के आलोक में बैंकिंग प्रणाली संबंधी नीति की पुनरीक्षा की गई है। समिति ने सिफारिश की है कि नए गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आने की अनुमति दी जाए बशर्ते कि, वे पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदण्ड सहित सुस्पष्ट विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा करते हों। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और यह निर्णय लिया है कि नए गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वित्तीय क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि वे व्यापक और सुस्पष्ट विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को पूरा करते हों। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही दिनांक 22 जनवरी, 1993 को तत्संबंधी मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं।

(ग) और (घ) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति/कम्पनी कोई बैंक खोलना चाहता है तो उसे निर्धारित फार्म में भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक को अभी तक निर्धारित फार्म में केवल एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। अलबत्ता निगमित निकायों सहित विभिन्न पार्टियों से इस संबंध में उनसे पूछताछ अवश्य की गई है।

महालिक समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

* 5. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री महेन्द्र सिंह लाठर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 8 दिसम्बर, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2344 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए महालिक समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसे लागू किये जाने के बाद से दूरदर्शन के कार्यक्रमों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या उनका मंत्रालय तथा दूरदर्शन महानिदेशालय उक्त समिति की रिपोर्ट को लागू करने में टालमटोल कर रहा है ; यदि हां, तो इसका क्या कारण है ;

(घ) क्या कुछ नये कार्यक्रमों से संबंधित कोई प्रस्ताव अंतिम निर्णय के लिये उनके मंत्रालय के पास लंबित है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दूरदर्शन के कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) महालिक समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार करने के फलस्वरूप दूरदर्शन ने पहले ही 1 जनवरी, 1993 से मनोरंजन-कार्यक्रमों को अतिरिक्त समय देते हुए एक संशोधित नियत बिन्दु चार्ट अपनाया है । इन परिवर्तनों के प्रभाव के बारे में दूरदर्शन द्वारा अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) : प्रायोजित, कमी-शंड अथवा रायल्टी के आधार पर नए कार्यक्रमों के प्रस्तावों पर दूरदर्शन द्वारा कार्यवाही की जाती है और अनुमोदन दिया जाता है । समय-समय पर उनके कार्यक्रम की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए यह एक सतत प्रक्रिया है । दूरदर्शन का निरंतर यह प्रयास रहता है कि वह अपने दर्शकों की अभिरुचि को बनाए रखने के ध्येय से अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाए ।